

बिहार सरकार  
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरुद्ध कुमार  
अपर सचिव।

सेवा में,

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक-

विषय:- वर्तमान वित्तीय वर्ष-2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष- 2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष- 80-सामान्य, लघु शीर्ष- 001- निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष- 0002-बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विपन्न कोड-39-2245800010002 के अन्तर्गत कुल ₹6,22,80,000.00 (छः करोड़ बाईस लाख अस्सी हजार रुपये) आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

- इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष- 2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष- 80-सामान्य, लघु शीर्ष- 001- निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष- 0002-बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- आवटित/ पूर्व आवंटित राशि की विवरणी लघुशीर्ष/ उपशीर्षवार निम्नप्रकार है :-  
लघु शीर्ष-001- निदेशन तथा प्रशासन।  
उपशीर्ष-0002- बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।  
मांग संख्या-39

क्र.	विस्तृत शीर्ष	विषय शीर्ष	पूर्व आवंटन (रुपये में)	वर्तमान आवंटन (रुपये में)	योग (रुपये में)
1	2	3	4	5	6
1.	31-सहायता अनुदान	04- सहायक अनुदान-वेतन	0.00 (शून्य)	19920000.00 (एक करोड़ नित्यानवे लाख बीस हजार)	19920000.00 (एक करोड़ नित्यानवे लाख बीस हजार)
2.		06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	0.00 (शून्य)	42360000.00 (चार करोड़ तेईस लाख साठ हजार)	42360000.00 (चार करोड़ तेईस लाख साठ हजार)
कुल योग			0.00 (शून्य)	6,22,80,000.00 (छः करोड़ बाईस लाख अस्सी हजार)	6,22,80,000.00 (छः करोड़ बाईस लाख अस्सी हजार)

4. उक्त आवंटन सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पत्रांक 577/प्राधि0 दिनांक 25.04.17 द्वारा की गई अधियाचना तथा विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 125/आ0प्र0 दिनांक 29.05.17 एवं शुद्धि पत्रांक 1546/आ0प्र0 दिनांक 06.06.17 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी कर चेक /ड्राफ्ट के माध्यम से सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दी जायेगी।

5. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापाक 2561 [वि0 (2)] दिनांक-17.4.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। उक्त मद के अन्तर्गत व्यय की गई राशि का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाय।

6. आवंटित की गई राशि की निकासी BTC Form-42 में की जाय। निकासी की गई राशि का बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से उपयोगिता प्राप्त कर BTC Form-42A में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को शीघ्रतापूर्वक एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2018 तक उपलब्ध कराया जाय।

7. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2018 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

8. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-  
अपर सचिव

ज्ञापांक-...../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट) पटना को सूचनाार्थ प्रेषित।

ह0/-  
अपर सचिव

ज्ञापांक-...../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन पटना को सूचना तथा आवश्यक करवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-  
अपर सचिव

ज्ञापांक-...../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को उनके पत्रांक 577 / प्राधि0 दिनांक 25.04.17 के आलोक में सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0:

अपर सचिव

ज्ञापांक-...../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

ज्ञापांक-<sup>27</sup>...../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट)/ प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/ सांख्यिकी पदाधिकारी/ कार्यवाह सहायक/ लेखाशाखा (दो प्रति में)/आईटी मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव